न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 191/2022

अनवान : –

1. सुमित्रा पत्नी बलवीर जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. राजेश पुत्र बलवीर जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. राजबाला पुत्री बलवीर बलवीर जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
4. रविन्द्र पुत्र बलवीर बलवीर जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
5. बलवीर जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
6. दलिप पुत्र फुसाराम बलवीर जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।

– सायलान

बनाम्

1. कंवरपाल तथाकथित पुत्र फुसाराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. सतपाल तथाकथित पुत्र फुसाराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. कृष्णा देवी तथाकथित पुत्री फुसाराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
4. समेस्ता तथाकथित पुत्री फुसाराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
6. उप पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री महेश चन्द्र शर्मा अधिवक्ता **सायलान**

2. श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय दिनांकः -26/11/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत इस आशय का पेश किया गया है कि सायलान के दादा पड़दादा की खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा चक 3 केएनएन के खाता स0 70 की कुल 6.5790 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा 7 केएनएन के खाता स0 49 की कुल 4.5540 हैक्ट भूमि थी जो की विरासतन सायलान व गैरसायलान के नाम दर्ज हुई।

मोहकम जो की सायलान का पड़दादा था जिसके तीन लड़के हेमाराम, जोतराम व कानाराम हुए चूंकि वाद व प्रार्थना पत्र केवल हेमराज पुत्र मोहकमराम के हिस्से तक है इसलिए सजरा खानदान केवल मात्र हेमाराम को ही दिखाया गया है। हेमाराम की मृत्यु के पश्चात उसके कुल सात वारिसान मु0 चावली पत्नी व रूकमा, सावित्री, अमरसिंह, फुसाराम, हरिसिंह व गुडडी पुत्र व पत्रीया हुई। इस प्रकार प्रत्येक का 1/7 हिस्सा विरासतन हुआ चावली ने अपना हक हिस्सा त्याग कर दिया इसलिए प्रत्येक वारिस का 1/6 हिस्सा हिन्दु विधि के अनुसार हुआ।

फुसाराम की शादी बिदामी से हुई जिसके नुत्फे से बलवीर व दलीप हुए बलवीर फौत हो चुका है जिसके जायज वारिसान सायलान है बिदामी के देहान्त के बाद फुसाराम ने गोटी उर्फ सुगनी देवी से हिन्दु विधि के अनुसार शादी कर ली और गोटी उर्फ सुगनी देवी से एक लड़की इन्द्रा पैदा हुई जिसके जायज वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 5 व 6 है । सायलान के चाचा हरिसिंह जिसकी मृत्यु जीवनकाल में ही हो [illegible] था उसकी मृत्यु के समय हरिसिह की पत्नी ज्ञानी की उम्र महज 11–12 साल [illegible] सायलान के दादा ने नाजायज तौर पर मु0 गोटी उर्फ सुगनी देवी के जीवनकाल में ही अपने घर बसा [illegible] तथा नाजायज

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.10 16:04:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

रूप से उसके साथ रखना शुरू कर दिया था। और ज्ञानी के नुत्फे से गैरसायलान संख्या 1 ता 4 हुए जो उनकी वैध संतान नही थे इसलिए प्रार्थना पत्र में दर्ज भूमि में गैरसायल संख्या 1 ता 4 का कोई हक हिस्सा नही है। हिन्दु विधि अनुसार पैतृक दादालाई खातेदारी कृषि भूमि में केवल मात्र वैध संतानों का ही हक व हिस्सा होता है ऐसी सुरत में गैरसायलान संख्या 1 ता 4 वैध संतान न होने के कारण उनका कोई हक हिस्सा नही बनता है इसलिए उनका नाम कलमजन किया जावे। वाद भूमि गैरसायल संख्या 1 ता 4 के नाम गलत दर्ज होने से गैरसायल संख्या 1 ता 4 वाद भूमि को रहन, बैय करना चाहते है इसलिए गैरसायल संख्या 1 ता 4 को ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की उक्त वाद भूमि को रहन, बेय व मुन्तकिल न करे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की ज्ञानी देवी से फुसाराम का विवाह हिन्दु रिति रिवाज अनुसार हुआ था उक्त वाद भूमि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 की दादालाई भूमि थी जो की अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 के नाम हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत सही तौर से दर्ज हुई है। उत्तरदातागण फुसाराम की जायज व वैध संताने है तथा फुसाराम की मृत्यु की पश्चात विरासत नामान्तरण सायलान व गैरसायलान के नाम दर्ज हुआ जो की सरपंच ग्राम पंचायत फेफाना के द्वारा एवं गांव के मौजिज व्यक्तियों के द्वारा विरासतन नामान्तरण खुलवाने हेतु प्रपत्र हस्ताक्षर किये गये है एवं उत्तरदातागण संख्या 1 ता 4 एवं सायलान के नाम ग्राम पंचायत फेफाना द्वारा विरातसन नामान्तरण तस्दीक किया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र केवल अप्रार्थीगण को परेशान करने के लिए पेश किया गया है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है।

प्रार्थीगण का कथन है कि मोहकम जो की सायलान का पड़दादा था जिसके तीन लड़के हेमाराम, जोतराम व कानाराम हुए चूंकि वाद व प्रार्थना पत्र केवल हेमराज पुत्र मोहकमराम के हिस्से तक है इसलिए सजरा खानदान केवल मात्र हेमाराम को ही दिखाया गया है। हेमाराम की मृत्यु के पश्चात उसके कुल सात वारिसान मु0 चावली पत्नी व रूकमा, सावित्री, अमरसिंह, फुसाराम, हरिसिंह व गुडडी पुत्र व पत्रीया हुई। इस प्रकार प्रत्येक का 1/7 हिस्सा विरासतन हुआ चावली ने अपना हक हिस्सा त्याग कर दिया इसलिए प्रत्येक वारिस का 1/6 हिस्सा हिन्दु विधि के अनुसार हुआ। फुसाराम की शादी बिदामी से हुई जिसके नुत्फे से वलवीर व दलीप हुए बलवीर फौत हो चुका है जिसके जायज वारिसान सायलान है बिदामी के देहान्त के बाद फुसाराम ने गोटी उर्फ सुगनी देवी से हिन्दु [illegible] अनुसार शादी कर ली और गोटी उर्फ सुगनी देवी से एक लड़की इन्द्रा [illegible] प्रतिवादीगण संख्या 5 व 6 है। सायलान के चाचा हरिसिंह जिसकी मृत्यु [illegible] में ही हो गई थी जिसकी मृत्यु के समय

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.10 16:04:33 IST
Reason: SelfAttested

हरिसिह की पत्नी ज्ञानी की उम्र महज 11–12 साल थी जिसके जवान होने बाद सायलान के दादा ने नाजायज तौर पर मु0 गोटी उर्फ सुगनी देवी के जीवनकाल में ही अपने घर बसा लिया था तथा नाजायज रूप से उसके साथ रखना शुरू कर दिया था। और ज्ञानी के नुत्फे से गैरसायलान संख्या 1 ता 4 हुए जो उनकी वैध संतान नही थे इसलिए प्रार्थना पत्र में दर्ज भूमि में गैरसायल संख्या 1 ता 4 का कोई हक हिस्सा नही है। हिन्दु विधि अनुसार पैतृक दादालाई खातेदारी कृषि भूमि में केवल मात्र वैध संतानों का ही हक व हिस्सा होता है ऐसी सुरत में गैरसायलान संख्या 1 ता 4 वैध संतान न होने के कारण उनका कोई हक हिस्सा नही बनता है लेकिन प्रार्थीगण द्वारा अपनों कथनो के ताईद में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है मात्र कथन किया गया है।

जबकि अप्रार्थीगण का कथन है कि ज्ञानी देवी से फुसाराम का विवाह हिन्दु रिति रिवाज अनुसार हुआ था उक्त वाद भूमि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 की दादालाई भूमि थी जो की अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 के नाम हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत सही तौर से दर्ज हुई है। उत्तरदातागण फुसाराम की जायज व वैध संताने है तथा फुसाराम की मृत्यु की पश्चात विरासत नामान्तरण सायलान व गैरसायलान के नाम दर्ज हुआ जो की सरपंच ग्राम पंचायत फेफाना के द्वारा एवं गांव के मौजिज व्यक्तियों के द्वारा विरासतन नामान्तरण खुलवाने हेतु प्रपत्र हस्ताक्षर किये गये है एवं उत्तरदातागण संख्या 1 ता 4 एवं सायलान के नाम ग्राम पंचायत फेफाना द्वारा विरातसन नामान्तरण तस्दीक किया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नामान्तरण की चित्रप्रति के मुताबिक उक्त भूमि फुसाराम के सभी वारिसन के नाम सरपंच ग्राम पंचायत फेफाना द्वारा नामान्तरण तस्दीक किया गया है एवं अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजों के मुताबिक अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 के पिता/पति का नाम फुसाराम दर्ज है।

उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थीगण के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थीगण को। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 23.08.2022 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 26/11/2024 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.10 16:04:33 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर